

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 99 / 11

संस्थापन दिनांक:-21 / 04 / 11

फाईलिंग नं. 233504000242011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रानू पिता पूनमचंद अतुलकर,
उम्र 32 वर्ष, निवासी इतवारी चौक आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 20.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 16.02.2011 को समय रात्रि 10:55 बजे बस स्टैंड आमला से आधा किलोमीटर पश्चिम थाना आमला जिला बैतूल सार्वजनिक रोड पर वाहन कार क. एमपी-04-सीएफ-4298 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 16.02.2011 को उसकी इंडिका कार क. एमपी-05-सीए-0266 से अजय, ददू सिंह एवं सुनील के साथ शादी में जा रहा था। रात्रि करीब 10:55 बजे वह बस स्टैंड आमला में कार से उतरकर पैदल जा रहा था तभी सामने कार क. एमपी-04-सीएफ-4298 खड़ी थी जिसे ड्रायवर आगे पीछे कर रहा था जिसने अपनी कार को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसके दाये पैर के पंजे की अंगुली पर चक्का चढ़ा दिया। उसके द्वारा चिल्लाने पर अजय, ददू और सुनील आये जिन्होंने ड्रायवर का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रानू अतुलकर बताया। घटना से उसे दाये पैर के पंजे की अंगुली पर चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में कार क. एमपी-04-सीएफ-4298 का चालक रानू अतुलकर के विरुद्ध अपराध क. 44 / 11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से कार क. एमपी-04-सीएफ-4298 मय बीमा एवं ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के

परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण न किया जाकर मात्र उसका मौखिक परीक्षण किया गया जिस पर उसने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.02.2011 को समय रात्रि 10:55 बजे बस स्टैंड आमला से आधा किलोमीटर पश्चिम थाना आमला जिला बैतूल सार्वजनिक रोड पर वाहन कार क्र. एमपी-04-सीएफ-4298 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 मानसिंह (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना लगभग 4-5 साल पहले रात के 7.30-8 बजे की है। वह घटना दिनांक को उसकी कार से आ रहा था। जब वह आमला बस स्टैंड पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। जिस पर वह कार से नीचे उतरा और जाम को हटाने लगा तो किसी गाड़ी का चक्का उसके पैर के उपर चढ़ गया। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि वहां पर बहुत गाड़ियां थी जिस कारण वह नहीं देख पाया कि किस गाड़ी का टायर उसके पैर के उपर से निकल था। साक्षी के अनुसार उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना आमला में की थी जो प्रपी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने दिनांक 22.02.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉक्टर चौरिया द्वारा आहत मानसिंह को दांये पैर के एक्सरे हेतु भेजे जाने पर आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 1376 में दांये पैर की दूसरी मेटाटार्सल टूटी होना बताते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से आहत मानसिंह के द्वारा बताये गये स्थान पर फेक्चर आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

8 प्रकरण में फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन अधिकारी ने अन्य साक्षियों को परीक्षित न कराना व्यक्त करते हुए अभियोजन साक्ष्य समाप्त की है।

9 मानसिंह (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त रानू को पहचानना प्रकट किया है परंतु उक्त साक्षी ने यह नहीं बताया है कि जिस गाड़ी का टायर

उसके पैर के उपर चढ़ गया था उस गाड़ी को अभियुक्त रानू चला रहा था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि वाहन क्र. एमपी-04-सीएफ-4298 के ड्रायवर द्वारा गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाकर पैर पर चढ़ा दिया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसने यह नहीं देखा था कि किस वाहन का टायर उसके पैर पर चढ़ गया था।

10 अभियोजन कथा अनुसार वाहन क्र. एमपी-04-सीएफ-4298 के चालक रानू अतुलकर ने वाहन को आगे पीछ करकर बड़ी तेजी और लापरवाही से गाड़ी को चलाकर गाड़ी के अगले पहिये को फरियादी के पैर पर चढ़ा दिया था। जबकि स्वयं फरियादी मानसिंह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह प्रकट नहीं किया है कि उसके पैर पर जिस वाहन का टायर चढ़ा था उस वाहन का नंबर क्या था और उस वाहन को अभियुक्त रानू चला रहा था। साथ ही इस साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं होता है कि वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की गयी। ऐसी दशा में स्वयं फरियादी के कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रानू के द्वारा वाहन क्र. एमपी-04-सीएफ-4298 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर उसका अगला चक्का फरियादी के पैर पर चढ़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में जबकि यह प्रमाणित ही नहीं है कि घटना दिनांक को वाहन अभियुक्त रानू के द्वारा चलाया गया तब अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। निष्कर्षतः अभियुक्त रानू अतुलकर को धारा 279 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्तशुदा कार क्र. एमपी-04-सीएफ-4298 मय दस्तावेज रानू पिता पूनमचंद निवासी इतवारी चौक आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)